राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1279/2025

सरोज महला

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थय विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. प्रेम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री संजीव महला, कैवियटर**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र अणगासर जिला झुंझुनू से उप स्वास्थ्य केंद्र ललाण खुर्द, परबतसर, डीडवाना में स्थानांतरित किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 04 के स्थान उप स्वास्थ्य केंद्र ललाण खुर्द, परबतसर, डीडवाना पर अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 156 पर है और प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 155 पर है। अपीलार्थी को भी दिनांक 20.01.2025 के आदेश के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है, लेकिन वह आज तक स्थानांतरित स्थान पर शामिल नहीं हुई है। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी को वर्ष 2021 और 2022 में झुंझुनू से बाडमेर और बीकानेर स्थानांतरित किया गया था। आदेशों को इस न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी और राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरण) नियम 2011 के नियम 8(iii) के आधार पर दिनांक 02.11.2021 और 06.09.2022 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ईमानदारी और सर्वोत्तम योग्यता के साथ काम कर रही है और उसके काम

और आचरण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित के दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी अपने परिवार के साथ झुंझुनू जिले में रह रही है और राजस्थान सरकार ने उसके माता, पिता या पति के निवास पर महिला कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए स्थानांतरण नीति बनाई है। अपीलार्थी के स्थान और उसके पति के निवास से लगभग छह किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी एक महिला है और जिला झुंझुनू में कई रिक्त पद हैं अपीलार्थी को परेशान करने के लिए उसकी वर्तमान नियुक्ति के स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उप स्वास्थ्य केंद्र, अंणगासर, जिला झुंझुनू में एएनएम के रिक्त पद पर लगाया जावे तथा उसका वेतन भी वर्तमान नियुक्ति स्थान एसएचसी अंणगासर से दिलाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य